न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

पुनरीक्षण याचिका प्र0 3149-PBR/15

प्रस्तुत दिनांक

1... पवन पिता नारायणदास देसाई निवासी मून्दी तहसील पुनासा जिला खण्डवा

2... ओमप्रकाश पिता नारायणदास देसाई निवासी मून्दी तहसील पुनासा जिला खण्डवा

3.... दिलीप पिता नारायणदास देसाई निवासी मून्दी तहसील पुनासा जिला खण्डवा

.... पुनरीक्षणकर्तागण / आपत्तिकर्तागण

विरूद्ध

1..राधेश्याम पिता नारायणदास देसाई निवासी ग्राम मून्दी तहसील पुनासा जिला खण्डवा

CP 19/10/15

......................प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

2.... नारायणदास पिता कन्हैयालाल देसाई निवासी मून्दी तहसील पुनासा जिला खण्डवा

......................प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 3149—पीबीआर/15 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20—10—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 3—9—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि उन्हें 20 वर्ष पूर्व बंटवारे में प्राप्त हुई, जिस पर उनका लगातार कब्जा है, और प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रचलित है, अतः तहसीलदार द्वारा कार्यवाही स्थगित की जाये । चूंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है, और मात्र प्रकरण प्रचलित रहने से राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है । अतः तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	